

वर्ष 2024-25 के दौरान, रिज़र्व बैंक द्वारा भागीदारी को व्यापक बनाते हुए, पहुंच को आसान बनाते हुए और नियमों को युक्तियुक्त बनाते हुए वित्तीय बाजारों के विभिन्न संविभागों को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास जारी रखे गए। विदेशी मुद्रा प्रबंधन से संबंधित विनियमों को विकासमान कारोबारी प्रथाओं के अनुसरण में तर्कसंगत बनाया गया है जिसके तहत विनियमों को ज्यादा से ज्यादा सिद्धांत-आधारित बनाने, अनुपालन भार को कम करने और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये (आईएनआर) को प्रोत्साहित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

V.1 वर्ष 2024-25 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने विनियमों को सुव्यवस्थित करके और नवाचारों को बढ़ावा देकर वित्तीय बाजारों को अधिक विकसित और गहन बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखा। इस संबंध में वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी) द्वारा की गयी पहलों में शामिल हैं- रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों के लिए स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) को मान्यता प्रदान करने हेतु एक फ्रेमवर्क जारी करना; गैर-केन्द्रीकृत रूप से समाशोधित ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्नी व्यापार के लिए प्रारंभिक मार्जिन के विनियम हेतु अपेक्षाएं निर्धारित करना; सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदाओं की शुरुआत करना, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) की पहुंच का विस्तार अन्य के साथ-साथ सेबी के साथ पंजीकृत गैर-बैंक स्टॉक ब्रोकरों तक बढ़ाना; अनिवासियों द्वारा ऋण लिखतों में निवेश से संबंधित परिचालनगत अनुदेशों को समेकित करना, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा जारी किए गए राष्ट्रिक हरित बॉण्ड (एसजीआरबी) का व्यापार अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में करने की अनुमति देना; और सभी विदेशी मुद्रा लेन-देन के मामलों में रिपोर्टिंग से जुड़ी अपेक्षाओं को लागू करना। रिज़र्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन संबंधी परिचालन उसकी मौद्रिक नीति रुख के अनुरूप बने रहे और साथ ही, वैश्विक वित्तीय बाजारों में मौजूद अस्थिरता के बीच वित्तीय बाजार स्थितियों को भी सुव्यवस्थित बनाए रखा गया।

V.2 रिज़र्व बैंक ने नियमों को सरल बनाने, भारतीय रुपये (आईएनआर) के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने

और बाह्य व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने और कारोबारी सुगमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। तदनुसार, विदेशी मुद्रा विभाग (एफडीडी) वर्तमान में बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), माल और सेवाओं के निर्यात, प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) के लिए पर्यवेक्षी ढाँचा, उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस), आवक विप्रेषण योजना और आईएनआर तथा स्थानीय/ राष्ट्रीय मुद्राओं में सीमा-पार लेन-देन के निपटान से संबंधित मौजूदा कई दिशानिर्देशों की समीक्षा कर रहा है।

V.3 इसी पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को चार खंडों में बाँटा गया है। वित्तीय बाजारों के विकास और विनियमन को दूसरे खंड में शामिल किया गया है। खंड 3 में रिज़र्व बैंक के बाजार परिचालनों की चर्चा की गयी है। खंड 4 मुख्यतया बाह्य व्यापार और भुगतान एवं बाह्य वित्तीय प्रवाह के उदारीकरण और विकास से संबंधित उपायों पर केंद्रित है एवं खंड 5 में निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

2. वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी)

V.4 एफएमआरडी ने उसे प्रदत्त अधिदेश के अनुरूप मुद्रा, सरकारी प्रतिभूति(जी-सेक), ब्याज दर व्युत्पन्नी, विदेशी मुद्रा और ऋण व्युत्पन्नी बाजारों का विकास, विनियमन और निगरानी करते हुए वर्ष 2024-25 के लिए अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अनेक नवोन्मेषी कार्य किए।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

V.5 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- ओटीसी व्युत्पन्नी लेन-देन की रिपोर्टिंग के मामले में विधिक इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) से जुड़ी अपेक्षाओं; ओटीसी व्युत्पन्नी लेन-देन के लिए वैश्विक पहचानकर्ताओं (जैसे, विशिष्ट लेन-देन पहचानकर्ता) के तहत बेहतर एकीकरण और पारदर्शिता [उत्कर्ष 2.0] (पैराग्राफ V.6);
- घरेलू वित्तीय बाजारों के विकास और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल स्थापित करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजार लिखतों हेतु इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों (ईटीपी) को प्राधिकार देने हेतु वर्तमान विनियामकीय ढांचे की समीक्षा करना (पैराग्राफ V.7); और
- रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों हेतु एसआरओ के लिए एक ढांचा विकसित करना (पैराग्राफ V.8)।

कार्यान्वयन की स्थिति

V.6 भारत में विशिष्ट लेन-देन पहचानकर्ता (यूटीआई) के कार्यान्वयन के लिए एक अवधारणा पत्र तैयार किया गया था और उसे बाजार निकायों के साथ साझा किया गया था ताकि उनकी प्रतिक्रिया मिल सके। प्राप्त प्रतिक्रिया और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा किए गए यूटीआई के कार्यान्वयन के आकलन के आधार पर, यूटीआई के घरेलू कार्यान्वयन किया जाएगा।

V.7 हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर ईटीपी प्राधिकार के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

V.8 वित्तीय बाजार सहभागियों की संख्या में वृद्धि, परिचालनों की बढ़ती संख्या, नवीन प्रौद्योगिकियों के लिए बढ़ती स्वीकार्यता और ग्राहक तक बढ़ती पहुँच के साथ-

साथ यह महसूस किया गया कि स्व-विनियमन के लिए बेहतर औद्योगिक मानक विकसित किए जाएँ। तदनुसार, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों में एसआरओ को मान्यता प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा 19 अगस्त 2024 को जारी की गई थी।

प्रमुख पहलें

पारदेशीय बाजारों में स्वर्ण मूल्य जोखिम की हेजिंग (ओटीसी डेरिवेटिव)

V.9 जैसा कि विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर रिज़र्व बैंक के वक्तव्य (8 फरवरी, 2024) में घोषित किया गया था, निवासी संस्थाओं को आईएफएससी में एक्सचेंज-ट्रेडेड डेरिवेटिव के अलावा ओटीसी डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके अपने स्वर्ण मूल्य जोखिम की हेजिंग करने की अनुमति दी गयी थी ताकि निवासी संस्थाओं को सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध कराया जा सके।

अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेन-देन

V.10 भारतीय निवासियों को विदेशी मुद्रा व्यापार से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करने वाली अनधिकृत संस्थाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I (एडी श्रेणी-I) बैंकों को 24 अप्रैल 2024 को सूचित किया गया था कि वे अधिक सतर्क रहें और अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार में बैंकिंग चैनलों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिक सावधानी बरतें। एडी श्रेणी-I बैंकों से यह भी कहा गया था कि वे अपने ग्राहकों को इस मामले में अधिक जागरूक बनाएं और इससे जुड़ी जानकारी से उन्हें अवगत कराएँ।

विदेशी मुद्रा बाजार में एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) की भागीदारी को प्रोत्साहित करना

V.11 जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेन-देन पर जारी मास्टर निदेश को 3 मई 2024 को संशोधित किया गया था ताकि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 10(1) के तहत एडी श्रेणी-III के रूप में प्राधिकृत एसपीडी के लिए प्रावधानों की प्रयोज्यता में विस्तार किया जा सके और उनमें स्पष्टता लायी जा सके।

गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित व्युत्पन्नियों के लिए प्रारंभिक मार्जिन का विनिमय

V.12 ओटीसी व्युत्पन्नी बाजारों की आघातसहनीयता को बढ़ाने की दृष्टि से और ओटीसी व्युत्पन्नियों पर जी20 की सिफारिशों के मद्देनजर, गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित ओटीसी व्युत्पन्नियों के लेन-देन के उभयपक्षों के बीच प्रारंभिक मार्जिन के विनिमय को अनिवार्य करने से संबंधित निदेश 08 मई 2024 को जारी किए गए थे। इन निदेशों के दायरे में ब्याज दर और विदेशी मुद्रा एवं ऋण व्युत्पन्नी लेन-देन आते हैं और ये इन वित्तीय संस्थाओं पर उस सीमा तक लागू होंगे जिस सीमा तक ओटीसी व्युत्पन्नी बाजार में उन कंपनियों की भागीदारी होगी। इसके साथ ही, अन्य बातों के साथ-साथ व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए मार्जिन संबंधी निदेशों को भी संशोधित किया गया ताकि उन्हें फेमा, 1999 की दृष्टि से बाजार भागीदारों द्वारा भारत के भीतर और बाहर मार्जिन के विनिमय को सुविधाजनक बनाया जा सके और वे वैश्विक मार्जिन व्यवस्था के अंतर्गत प्रवेश कर सकें उसके अनुरूप चल सकें।

अनिवासियों द्वारा जी-सेक में निवेश के लिए पूर्णतया सुलभ मार्ग (एफएआर)

V.13 अनिवासियों को 01 अप्रैल 2020 से एफएआर के अंतर्गत बिना किसी प्रतिबंध के जी-सेक की विनिर्दिष्ट श्रेणियों (यथा 5-वर्ष, 7-वर्ष, 10-वर्ष, 14-वर्ष और 30-वर्ष परिपक्वता वाली) में निवेश करने की अनुमति दी गई थी। सरकार के साथ परामर्श करते हुए, 14-वर्ष और 30-वर्ष परिपक्वता वाली जी-सेक को 29 जुलाई 2024 से एफएआर से बाहर करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, एफएआर के तहत विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूची का विस्तार 7 नवंबर 2024 को किया गया था ताकि 2024-25 की दूसरी छमाही में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए 10-वर्षीय परिपक्वता वाले सभी राष्ट्रक हरित बॉण्ड्स (SGrB) को शामिल किया जा सके।

भारत सरकार द्वारा जारी SGrB की आईएफएससी में ट्रेडिंग

V.14 राष्ट्रक हरित बॉण्ड (SGrB) में अनिवासियों की व्यापक भागीदारी को सुकर बनाने के उद्देश्य से, आईएफएससी

में पात्र विदेशी निवेशकों को 29 अगस्त 2024 को SGrB की प्राथमिक नीलामी में भाग लेने और आईएफएससी में SGrB के लिए द्वितीयक बाजार में लेन-देन करने की अनुमति दी गई थी।

एनडीएस-ओएम तक पहुंच का विस्तार करना

V.15 एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म (जो सभी जी-सेक लेन-देन के लिए एकमात्र/प्राथमिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है) तक व्यापक पहुंच सुकर बनाने के लिए 18 अक्टूबर, 2024 को संशोधित निदेश जारी किए गए ताकि विनियमित संस्थाओं के एक बड़े समूह तक सीधी पहुंच प्रदान की जा सके और अन्य सुविधाओं, यथा, रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों तक पहुंच को सुसंगत बनाया जा सके।

व्यापार रिपोर्टिंग को विदेशी मुद्रा नकद/टॉम/स्पॉट लेन-देन की रिपोर्टिंग

V.16 रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों में सभी लेन-देन, विशेष रूप से, विदेशी मुद्रा बाजार में सभी लेन-देन के लिए एक केंद्रीकृत रिपोर्टिंग स्थापित करने एवं अधिक पारदर्शिता और प्रभावी निरीक्षण को सुकर बनाने के उद्देश्य से 8 नवंबर 2024 को प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वे विदेशी मुद्रा नकद/टॉम/स्पॉट व्यापार की रिपोर्टिंग चरणबद्ध तरीके से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) की व्यापार रिपोर्टिंग (टीआर) को करें।

सोने की कीमतों से जुड़े जोखिम से सुरक्षा के लिए किए गए लेन-देन की रिपोर्टिंग

V.17 विनियामकीय निगरानी को सुविधाजनक बनाने और इस विषय पर नीतिगत रुख को आकार देने में सहयोग प्रदान करने के साथ-साथ पारदर्शिता बढ़ाने के लक्ष्य से, बैंकों और उनके ग्राहकों/घटकों के लिए 1 फरवरी 2025 से यह अनिवार्य कर दिया गया कि वे स्वर्ण व्युत्पन्नियों में अपने लेन-देन की रिपोर्टिंग सीसीआईएल की टीआर को करें।

भारत में ऋण लिखतों में अनिवासी निवेश

V.18 कारोबारी सुगमता में सुधार लाने के उद्देश्य से, ऋण लिखतों में अनिवासियों द्वारा निवेश से संबंधित सभी प्रासंगिक

परिपत्रों (2008-2024 के दौरान जारी किए गए 63 परिपत्र) में निहित परिचालनगत अनुदेशों को एकल मास्टर निदेश¹ के तहत समेकित किया गया।

सेबी-पंजीकृत गैर-बैंक दलालों की एनडीएस-ओएम तक पहुंच

V.19 व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से, सेबी के पास पंजीकृत गैर-बैंक दलालों को अपने ग्राहकों की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन-देन के लिए एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुंच प्रदान की गई है। ऐसे दलाल इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों और शर्तों के अधीन एनडीएस-ओएम का उपयोग कर सकते हैं।

एनडीएस-ओएम के प्राथमिक सदस्य (पीएम) और उसके अपने गिल्ट खाताधारक (जीएच) के बीच या एक ही पीएम के दो जीएच के बीच सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन

V.20 सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन में व्यापार और निपटान मानदंडों में एकरूपता लाने के लिए, सीसीआईएल के माध्यम से समाशोधन और निपटान की सुविधा का विस्तार करते हुए इसमें पीएम और उसके स्वयं के जीएच के बीच या एक ही पीएम के दो जीएच के बीच लेन-देन को शामिल किया गया है, जिनका वैकल्पिक तौर पर द्विपक्षीय परक्रामण करते हुए एनडीएस-ओएम को रिपोर्ट किया जाता है।

सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदाओं की शुरुआत

V.21 बीमा कोष जैसे दीर्घावधि निवेशकों को सभी ब्याज दर चक्रों में अपने ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदाओं की शुरुआत की गयी है, जिनसे ऐसे व्युत्पन्नियों का कीमत निर्धारण भी अधिक कुशल तरीके से किया जा सकेगा जो अंतर्निहित लिखतों के रूप में बॉण्डों का उपयोग करते हैं।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

V.22 वर्ष 2025-26 के लिए, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- ओटीसी व्युत्पन्नी लेन-देन की रिपोर्टिंग हेतु एलईआई अपेक्षाओं के तहत बेहतर समूहन और पारदर्शिता की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा जाएगा, वैश्विक गतिविधियों के अनुरूप ओटीसी व्युत्पन्नी लेन-देन (जैसे, यूटीआई) के लिए वैश्विक पहचानकर्ताओं को वैश्विक विकास (उत्कर्ष 2.0) के अनुरूप भारत में लागू किया जाएगा; और
- एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म की पहुंच का विस्तार करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, इस प्लेटफॉर्म को एनपीसीआई भारत कनेक्ट द्वारा संचालित भारत कनेक्ट (पूर्वनाम भारत बिल भुगतान प्रणाली) के साथ लिंक करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। पहले चरण में, व्यष्टियों और एकल मालिकों द्वारा रुपये के मुकाबले अमरीकी डालर की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पायलट परियोजना लागू की जाएगी।

3. वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी)

V.23 एफएमओडी का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को लागू करने और तटीय और अपतटीय बाजार परिचालनों के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार में व्यवस्थित स्थिति सुनिश्चित करने की दिशा में चलनिधि प्रबंधन² से जुड़े परिचालनों का संचालन करना है।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

V.24 वर्ष के दौरान, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- प्रौद्योगिकी उन्नयन करना ताकि चलनिधि प्रबंधन से जुड़े परिचालनों को अधिक सुचारु और लचीला बनाया जा सके (पैराग्राफ V.25-V.28);

¹ मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण लिखतों में अनिवासी निवेश) निदेश, 2025, दिनांक 7 जनवरी 2025।

² चलनिधि प्रबंधन परिचालनों से संबंधित ब्योरा इस रिपोर्ट के अध्याय-III में दिया गया है।

- चलनिधि समायोजन सुविधा पर समेकित अनुदेश जारी करना (पैराग्राफ V.29); और
- बाजार परिचालन रणनीतियों का सतत मार्गदर्शन करने के लिए वित्तीय बाजारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान और विश्लेषण (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ V.30]।

कार्यान्वयन की स्थिति

V.25 दिनांक 21 जून 2024 से, स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एसआईएसओ) सुविधा के तहत एक विकल्प प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से पात्र सहभागी भविष्य की तारीखों के लिए न्यूनतम और अधिकतम शेषराशि सीमा निर्धारित/ संशोधित कर सकते हैं। इससे बैंकों को सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान अपनी नकदी और नकद आरक्षित निधि से जुड़ी अपेक्षाओं के बेहतर प्रबंधन में मदद मिली है।

V.26 रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत, विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक का मूल्यांकन दि फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित दैनिक बाजार दरों के आधार पर किया जाता है। इस प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाने और इसकी परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए, ई-कुबेर 2.0 में एक ऑटो-अपलोड सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों की बाजार दरें स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) आधार पर एफबीआईएल वेबसाइट से सीधे प्राप्त की जाती हैं।

V.27 ई-कुबेर 2.0 में ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) नीलामी में कई बोलियां अपलोड करने की सुविधा विकसित की जा रही है, जो सहभागियों को एक ही फाइल अपलोड के माध्यम से ओएमओ नीलामी में कई बोलियां प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगी। इस सुविधा का विकास अपने उन्नत चरण में है।

V.28 विदेशी मुद्रा स्वैप नीलामी टिकाऊ चलनिधि के प्रबंधन के लिए रिज़र्व बैंक के टूलकिट में उपलब्ध उपकरणों में

से एक है। विदेशी मुद्रा स्वैप नीलामी आयोजित करने के लिए ई-कुबेर 2.0 में एक मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है जिसमें बैंक अपनी बोलियां संसाधन और आवंटन के लिए प्रस्तुत कर सकेंगे।

V.29 रिज़र्व बैंक मौजूदा चलनिधि प्रबंधन ढांचे की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है जो 14 फरवरी 2020 से परिचालन में है। फ्रेमवर्क की समीक्षा पूरी होने के बाद चलनिधि प्रबंधन परिचालन पर समेकित अनुदेश जारी किए जाएंगे।

V.30 विभाग ने 2024-25 के दौरान वित्तीय बाजारों से संबंधित नीति-उन्मुख अनुसंधान और विश्लेषण करना जारी रखा। इन अध्ययनों में विकेंद्रीकृत वित्तपोषण और वित्तीय प्रणाली; वास्तविक प्रभावी विनिमय दर और भारत का व्यापार संतुलन; और उच्च अस्थिरता वाली घटनाओं के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार का रुझान शामिल थे।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

V.31 वर्ष 2025-26 के दौरान, विभाग की योजना निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की है:

- चलनिधि प्रबंधन ढांचे की समीक्षा;
- यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन करना; और
- बाजार परिचालन रणनीतियों के सतत मार्गदर्शन हेतु वित्तीय बाजारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान और विश्लेषण करना (उत्कर्ष 2.0)।

4. विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी)

V.32 एफईडी को विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जैसा कि विदेशी

मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत परिकल्पित है। तदनुसार, विभाग ने बाह्य व्यापार और भुगतान की सुविधा के लिए सरल, व्यापक, समयोचित और अधिक सिद्धांत-आधारित नीतियों को तैयार करने के अपने प्रयास जारी रखे; बाह्य क्षेत्र के लेन-देन से संबंधित नियमों और विनियमों को और युक्तिसंगत बनाना; और अंतरराष्ट्रीय सीमा पार लेन-देन के लिए भारतीय रुपये के बढ़ते उपयोग को प्रोत्साहित करना।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

V.33 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- फेमा, 1999 (उत्कर्ष 2.0) के तहत एपी के लिए वर्तमान प्राधिकार ढांचे की समीक्षा [पैराग्राफ V.34];
- ईसीबी ढांचे को युक्तिसंगत करना (पैराग्राफ V.35);
- ईसीबी और व्यापार क्रेडिट रिपोर्टिंग और अनुमोदन (स्पेक्ट्रा) परियोजना के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के चरण I के लिए 'गो-लाइव' (पैराग्राफ V.36);
- माल और सेवाओं के निर्यात के लिए नियमों को युक्तिसंगत करना (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ V.37];
- एपी के लिए पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा (पैराग्राफ V.38);
- विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमों को युक्तिसंगत करना (पैराग्राफ V.39);
- विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान का तरीका और गैर-कर्ज लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली (पैराग्राफ V.40);

- आईएनआर का अंतरराष्ट्रीयकरण (पैराग्राफ V.41-V42):
 - भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों (पीआरओआई) द्वारा भारत के बाहर आईएनआर खाते खोलने की अनुमति [उत्कर्ष 2.0];
 - भारतीय बैंकों द्वारा पीआरओआई को आईएनआर ऋण; और
 - विशेष खातों [अर्थात्, विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाता और विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता (एसआरवीए)] के माध्यम से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) को प्रोत्साहन देना;
- विदेशी मुद्रा लेन-देन की व्यापक एकीकृत रिपोर्टिंग के लिए रूपरेखा बनाना (पैराग्राफ V.43);
- अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों की तुलना में गांधीनगर, गुजरात में गिफ्ट सिटी³ की भूमिका में सुधार के उपाय (पैराग्राफ V.44):
 - विभिन्न विदेशी मुद्राओं के लिए विदेशी मुद्रा (एफसीवाई)-आईएनआर युग्मों के व्यापार को प्रोत्साहित करना; और
 - फेमा, 1999 के तहत आईएफएससी विनियमों की समीक्षा।
- फेमा, 1999 के तहत शमन कार्यवाही नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथासंशोधित) की समीक्षा; (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ V.45]
- उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) को युक्तिसंगत बनाना (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ V.46]; और

³ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी।

- आवक प्रेषण योजनाओं, अर्थात्, धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) और रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) को युक्तिसंगत बनाना (उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ V.47]

कार्यान्वयन की स्थिति

V.34 फेमा के अंतर्गत लाए जा रहे अधिकाधिक उदारीकरण के साथ-साथ एपी की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि और नए-नए व्यापार मॉडलों के उद्भव को देखते हुए किसी दुरुपयोग की संभावना को दूर करने, विनियामकीय अंतरालों को दूर करने, कारोबारी सुगमता बढ़ाने और सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान प्राधिकार ढांचे की समीक्षा की जा रही है। तदनुसार, फेमा के अंतर्गत एपी के लिए रूपरेखा का मसौदा हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया था। प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर संशोधित ढांचा तैयार किया जा रहा है।

V.35 ईसीबी ढांचे से संबंधित उदारीकरण उपायों के संदर्भ में, विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना और उधार देना) विनियमावली, 2018 (समय-समय पर यथासंशोधित) की अनुसूची I की व्यापक समीक्षा चल रही है।

V.36 जून 2024 में स्पेक्ट्रा परियोजना के संशोधित प्रथम चरण के कार्यान्वयन की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद, इस परियोजना को शुरू करने के लिए आवश्यक अंतिम अनुमोदन और विक्रेता की पुष्टि चल रही है।

V.37 व्यापारिक लेन-देन के लिए मौजूदा विनियामकीय ढांचे को तर्कसंगत तथा सरल बनाने के लिए व्यापार दिशानिर्देशों को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। तदनुसार, 2 जुलाई 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से माल और सेवाओं के निर्यात और आयात पर एडी के लिए मसौदा विनियमावली

और मसौदा निदेशों पर जनता से टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रियाएँ मांगी गई थीं। प्राप्त फीडबैक और विभिन्न हितधारकों के साथ आगे के परामर्श के आधार पर, मसौदा विनियमावली और निदेशों को और संशोधित किया गया एवं टिप्पणियों/ प्रतिक्रियाओं के लिए इन्हें 4 अप्रैल 2025 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया। संशोधित विनियमों में कारोबारी सुगमता बढ़ाने एवं सभी अनुदेशों को एक ही दस्तावेज में लाने पर जोर दिया गया है।

V.38 जोखिम-रेटिंग मॉडल के आधार पर सम्पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी) और गैर-बैंक एडी श्रेणी-II संस्थाओं के निरीक्षण के लिये एक संशोधित जोखिम-आधारित पर्यवेक्षी ढाँचा 11 जून 2024 को परिचालन, अभिशासन और अनुपालन के आधार पर संस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिये पेश किया गया था। संशोधित ढांचे में, उच्च जोखिम वाली संस्थाओं को प्राथमिकता देने के लिए, निरीक्षण आवृत्ति को जोखिम रेटिंग से जोड़ा गया है। जोखिम रेटिंग ढांचे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/ धन-शोधन निवारण (एएमएल) संबंधी अपर्याप्त अनुपालन वाली इकाइयाँ या ऐसी इकाइयाँ जिन्होंने अनुपालन न कराते हुए लें-देँ किए हों, उन्हें उनकी समग्र या अन्य श्रेणी जोखिम रेटिंग की परवाह किए बिना केंद्रित निरीक्षण के अधीन किया जाता है।

V.39 उभरती हुई व्यावसायिक आवश्यकताओं/ पद्धतियों और समष्टि आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 की व्यापक समीक्षा की गई है। संशोधित विनियमावली में जारी/प्राप्त गारंटियों को सरल और युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है। विनियमावली के मसौदे की समीक्षा की जा रही है।

V.40 वर्तमान में विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखतों के भुगतान का तरीका और रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019

⁴ रिजर्व बैंक अधिसूचना संख्या फेमा.395/2019-आरबी दिनांक 17 अक्टूबर 2019।

(समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत निर्धारित⁴ गैर-ऋण लिखतों के भुगतान और रिपोर्टिंग के तरीके से संबंधित ढांचे की समीक्षा की जा रही है।

V.41 भारतीय रुपया और स्थानीय/राष्ट्रीय मुद्राओं में सीमा पार लेन-देन के निपटान को बढ़ावा देने के लिए, फेमा के तहत संशोधित अधिसूचनाएं/ संशोधित विनियम 15 जनवरी 2025 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे, जिससे निम्नलिखित के लिए प्रावधान प्रभावी हो गए:

- भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों (पीआरओआई) को भारत में निवासी व्यक्तियों (पीआरआई) के साथ सभी स्वीकार्य चालू और पूंजी खाता लेन-देन के भुगतान और निपटान तथा अन्य पीआरओआई के साथ सभी वास्तविक लेन-देन के लिए एडी बैंकों की विदेशी शाखाओं के साथ एसएनआरआर खाते खोलने की अनुमति देना; तथा
- विभिन्न प्रत्यावर्तनीय आईएनआर खातों के माध्यम से विदेशी निवेश (एफडीआई और पोर्टफोलियो निवेश सहित) को प्रोत्साहित करना।

V.42 सीमा पार लेन-देन के लिए आईएनआर के उपयोग की सुविधा हेतु आईएनआर चलनिधि प्रदान करने के लिए, उपायों का एक व्यापक सेट शुरू किया गया है।

V.43 वर्तमान रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा करने, कमियों और ओवरलैप्स की पहचान करने और रिपोर्टिंग को सुप्रवाही बनाने तथा अधिक सूचित नीति तैयार करने के लिए विश्लेषण को सुकर बनाने के लिए आवश्यक सुधारों का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

V.44 फेमा के अंतर्गत वर्तमान आईएफएससी विनियमों की समीक्षा करने के लिए रिज़र्व बैंक के भीतर से इनपुट/

टिप्पणियां मांगी गई थीं। प्राप्त जानकारी के आधार पर विभाग द्वारा समीक्षा की जा रही है।

V.45 विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियमावली, 2024 को भारत सरकार द्वारा 12 सितंबर 2024 को विभाग के परामर्श से अधिसूचित किया गया है, जिसने पूर्ववर्ती विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्स) नियमावली, 2000 का स्थान लिया है। नए ढांचे में, अन्य बातों के साथ-साथ, रिज़र्व बैंक में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों द्वारा शमन किए जा सकने वाले उल्लंघन में शामिल राशि के लिए मौद्रिक सीमा को बढ़ाया गया है, शमन के लिए आवेदन और शमन के लिए भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक और अन्य ऑनलाइन तरीकों को सक्षम किया गया है, और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच/न्यायनिर्णयन के विभिन्न चरणों से जुड़े मामलों के संबंध में कार्रवाई के लिए प्रावधान किए गए हैं। विभाग ने इस अधिसूचना के अनुसरण में, सभी एडी श्रेणी -I बैंकों को शमन पर नए निदेश जारी कर दिए हैं।

V.46 योजना के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ कानूनी ढांचे, वार्षिक सीमा, अनुमत उद्देश्यों (समावेशन/ बहिष्करण) और भुगतान के तरीके/ मुद्राओं को शामिल करते हुए मौजूदा एलआरएस में विभिन्न मामलों का समाधान करने के लिए एक व्यापक समीक्षा की गई है। परिणामस्वरूप, विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेन-देन) नियमावली और विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेन-देन) विनियमों में आवश्यक संशोधनों के साथ-साथ संशोधित योजना प्रक्रियाधीन है।

V.47 एमटीएसएस और आरडीए योजनाओं की व्यापक समीक्षा की प्रक्रिया चल रही है। समीक्षा के प्रमुख क्षेत्रों में अनुमत लेन-देन का विस्तार, दिशानिर्देशों को अधिक सिद्धांत-आधारित बनाने के लिए उन्हें युक्तिसंगत बनाना और अनुपालन बोझ को कम करना शामिल है।

प्रमुख पहलें

V.48 भारत के अलावा अनुमत क्षेत्राधिकारों में शेयर बाजारों में भारतीय कंपनियों की सूचीबद्धता को संभव बनाने के लिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 2024 को एफईएम (एनडीआई)⁵ नियमावली, 2019 में किए गए संशोधन के अनुसरण में, विभाग ने 23 अप्रैल 2024 को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम और गैर -कर्ज लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 (रिजर्व बैंक द्वारा 17 अक्टूबर 2019 को यथा अधिसूचित) में संशोधन करके अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों में भारतीय कंपनियों की सूचीबद्धता से संबंधित लेन-देन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए।

V.49 फेमा, 1999 के अंतर्गत भारत में बैंकों को पहले अनिवासियों (एफसीवाई में) के साथ मार्जिन का आदान-प्रदान करने अथवा विदेश में मार्जिन दर्ज करने /एकत्र करने की अनुमति नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप अनिवासियों के साथ लेन-देन करने में बाधाएं उत्पन्न होती थीं। इस मुद्दे को हल करने के लिए, विदेशी मुद्रा प्रबंध (व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए मार्जिन) विनियमावली, 2020⁶ ने भारत में निवासी व्यक्ति और भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के बीच अनुमत व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए मार्जिन के आदान-प्रदान को संभव बनाया। तदनुसार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमावली, 2016⁷ में संशोधन किया गया ताकि पीआरओआई को 6 मई 2024 से भारत में मार्जिन पोस्टिंग/एकत्र करने के लिए आईएनआर और/या एफसीवाई में ब्याज अर्जक खाता खोलने, रखने और बनाए रखने की अनुमति दी जा सके।

V.50 दिनांक 14 मार्च 2024 के एफईएम (एनडीआई) नियम, 2019 में संशोधन के अनुसरण में, भारत में निवेश व्हीकल्स द्वारा पीआरओआई को आंशिक रूप से भुगतान

की गई इकाइयों को जारी करने में सक्षम बनाने के लिए, यह स्पष्ट किया गया था कि उपरोक्त संशोधित अधिसूचना से पहले निवेश व्हीकल्स द्वारा इस तरह के निर्गम को फेमा के तहत शमन कार्यवाही के माध्यम से नियमित किया जा सकता है। तदनुसार, विभाग ने 21 मई 2024 को इसके कार्यान्वयन के लिए निदेश जारी किए।

V.51 भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने और निपटान में आईएनआर के बढ़ते उपयोग के लिए एसआरवीए योजना (11 जुलाई, 2022 से प्रभावी) की समीक्षा कराते हुए, एडी श्रेणी -I बैंकों (जो एसआरवीए खाता रखते हैं) द्वारा अपने घटकों के लिए एक अतिरिक्त विशेष चालू खाता खोलने की सुविधा 11 जून 2024 से उनके आयात लेन-देन (निर्यात लेन-देन के मौजूदा प्रावधान के अलावा) के निपटान के लिए दी गई है।

V.52 अनुपालन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, फॉर्म ए 2 के 'ऑनलाइन' सबमिशन के आधार पर जावक विप्रेषण पर लगाई गई सीमा को 3 जुलाई 2024 से हटा दिया गया है। सभी एडी श्रेणी - I और एडी श्रेणी - II व्यक्तियों को ऑनलाइन या भौतिक फॉर्म ए2 और अन्य संबंधित दस्तावेज, यथा लागू, प्रस्तुत करने पर [फेमा, 1999 की धारा 10 (5) में निर्धारित शर्तों के अधीन] लेन-देन मूल्य पर ध्यान दिए बिना सभी प्रकार के विप्रेषणों की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

V.53 निवासी व्यक्तियों को फेमा के तहत किसी भी स्वीकार्य चालू और/या पूंजी खाता लेन-देन के लिए आईएफएससी में एलआरएस के तहत धनराशि भेजने में सक्षम बनाने के साथ-साथ आईएफएससी में अपने विदेशी मुद्रा खातों में धन का उपयोग किसी अन्य क्षेत्राधिकार में लेन-देन के लिए करने और आईएफएससी के लिए अन्य विदेशी क्षेत्राधिकारों के संबंध में

⁵ विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर कर्ज लिखत)

⁶ रिजर्व बैंक अधिसूचना संख्या फेमा.399/आरबी-2020 दिनांक 23 अक्टूबर 2020

⁷ रिजर्व बैंक अधिसूचना संख्या फेमा.5(आर)/2016-आरबी दिनांक 1 अप्रैल 2016

समानता प्रदान करने के लिए, 10 जुलाई 2024 से, एपी को आईएफएससी में एलआरएस के तहत सभी स्वीकार्य उद्देश्यों के लिए धन विप्रेषण की सुविधा देने की अनुमति दी गई है, ताकि (ए) आईएफएससी के भीतर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अनुसार वित्तीय सेवाओं या वित्तीय उत्पादों का लाभ उठाया जा सके; और (बी) आईएफएससी में रखे गए विदेशी मुद्रा खाते के माध्यम से किसी भी अन्य विदेशी क्षेत्राधिकार (आईएफएससी के अलावा) में सभी चालू या पूंजी खाता लेन-देन किए जा सकें।

V.54 दिनांक 16 अगस्त 2024 से फेम (एनडीआई) विनियमावली में संशोधन के माध्यम से भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनी की इक्विटी पूंजी के बदले में निवेशग्राही भारतीय कंपनी के इक्विटी लिखत जारी करने या इक्विटी लिखतों को अंतरित करने में सक्षम बनाया गया है, जिससे सरकार के पूर्वानुमोदन, यदि लागू हो, इक्विटी लिखतों/इक्विटी पूंजी के सीमा पार स्वैप को प्रभावी रूप से सक्षम किया जा सकेगा।

V.55 विभाग ने भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के परामर्श से 11 नवंबर 2024 को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा किए गए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को फेम (एनडीआई) नियम, 2019 के तहत एफडीआई में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए एक परिचालन ढांचे को अंतिम रूप दिया, ताकि संबंधित एफपीआई द्वारा निवेश सीमा का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में विदेशी निवेशकों को लचीलापन प्रदान किया जा सके और भारत में कारोबारी सुगमता को बढ़ाया जा सके। तदनुसार, निर्धारित सीमा का उल्लंघन करके निवेश करने वाले एफपीआई के पास अपनी होल्डिंग्स को निर्निहितीकरण के पहले के विकल्प के अलावा ऐसी होल्डिंग्स को एफडीआई के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का विकल्प होगा।

V.56 विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में रहने वाले व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 में संशोधन के माध्यम से, अब सभी निवासी निर्यातकों (पहले के केवल परियोजना

निर्यात करने वाले निर्यातकों के विपरीत) को यथालागू वसूली और प्रत्यावर्तन प्रावधानों को सुनिश्चित करने के अधीन व्यापार लेन-देन के निपटान के लिए विदेशों में एफसीवाई खाते खोलने की अनुमति है। इस संशोधन का उद्देश्य उन निर्यातकों का सहयोग करना है जो स्थानीय मुद्राओं में भुगतान प्राप्त करते हैं और ऐसे विदेशी मुद्रा खातों को इन मुद्राओं को रखने और उस क्षेत्र से किए जाने वाले आयात के बदले भुगतान करने हेतु प्रयोग किया जा सकता है, इससे व्यापारिक भागीदार देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार लेन-देन के निपटान को बढ़ावा मिलेगा।

V.57 एसीयू के सदस्य मालदीव के साथ द्विपक्षीय लेन-देन अब तक एसीयू ढांचे के अंतर्गत मौजूदा प्राप्ति और भुगतान विनियम, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार निपटाए जा रहे थे। दिनांक 21 नवंबर 2024 को, रिज़र्व बैंक और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) ने सीमा पार लेन-देन के लिए स्थानीय मुद्राओं, जैसे आईएनआर और मालदीवियन रूफिया (एमवीआर) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क स्थापित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसलिए, मालदीव के साथ स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार लेन-देन का निपटान, जिसकी अब तक फेमा ढांचे के तहत अनुमति नहीं थी, को मौजूदा एसीयू तंत्र के अलावा 17 मार्च 2025 से सक्षम किया गया है।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

V.58 विभाग का प्राथमिक जोर विभिन्न दिशा-निर्देशों को तर्कसंगत बनाने पर होगा, साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि फेमा परिचालन ढांचे का विकासमान समष्टि आर्थिक परिदृश के साथ निरंतर समन्वय बना रहे। इसे संभव बनाने के लिए, विभाग ने 2025-26 हेतु निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- एफईएम (गारंटी) विनियमों को युक्तिसंगत बनाना;
- एलआरएस को युक्तिसंगत बनाना;

- भारतीय रुपए में उधार लेने और देने के लेन-देन पर निर्देशों की समीक्षा करना ताकि उन्हें युक्तिसंगत बनाया जा सके और मास्टर निदेश - बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण और संरचित दायित्वों में विलय किया जा सके;
- फेमा, 1999 के अंतर्गत एपी के लिए प्राधिकार फ्रेमवर्क की समीक्षा
- फेम (गैर ऋण लिखत) नियमों को युक्तिसंगत बनाना;
- बीमा विनियमावली, 2015 की समीक्षा;
- जमा विनियमावली, 2016 की समीक्षा; और
- फेम (भारत में शाखा कार्यालय या संपर्क कार्यालय या परियोजना कार्यालय या व्यवसाय के किसी अन्य स्थान की स्थापना) विनियमावली, 2016 की समीक्षा।

5. निष्कर्ष

V.59 रिजर्व बैंक ने 2024-25 के दौरान विनियामकीय ढाँचे और निगरानी को मजबूत करने और भारतीय ऋण साधनों

में अनिवासी निवेश पर निर्देशों के समेकन सहित नियमों को सुव्यवस्थित करने के माध्यम से वित्तीय बाजारों के और विकास और गहनता पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। कठिन वैश्विक स्पिलओवर के बीच व्यवस्थित बाजार स्थितियों और बाजार की उम्मीदों पर अंकुश सुनिश्चित करने के लिए अग्र सक्रिय उपाय किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय सीमा-पार लेन-देन के लिए आईएनआर और साझेदार व्यापारिक देशों की स्थानीय मुद्राओं के बढ़ते उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए और विदेशी मुद्रा लेन-देन को आसान बनाने के लिए विभिन्न विनियामक, पर्यवेक्षी उपायों के साथ-साथ प्राधिकरण ढाँचे को युक्तिसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। विनियामकीय रिपोर्टिंग को और मजबूत करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा लेन-देन की व्यापक रिपोर्टिंग के लिए एक फ्रेमवर्क भी प्रक्रिया में है। आगे भी, चलनिधि परिचालन मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप बनाए रखा जाएगा और साथ ही, विदेशी मुद्रा परिचालन आईएनआर की विनियम दर में व्यवस्थित उतार-चढ़ाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्देशित होंगे।